

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 जून 2019—ज्येष्ठ 13, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

अधि. 09-क्र. एफ-6-7-2009-अठारह-3.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01 फरवरी 2018 द्वारा डॉ. सुधांशु मिश्र को भेलसा रामलीला मेला विधान 1956 में निहित धारा 8 की उपधारा (1) के तहत भेलसा रामलीला मेला समिति में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है.

प्रशासकीय दृष्टि से, राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. सुधांशु मिश्र के स्थान पर श्री राजीव शर्मा, को भेलसा रामलीला मेला समिति में सचिव के पद पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.